न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 41 / 2018 (उदयपुर आर्डर)

चेनराम पिता मियाराम जी कीर, निवासी रोहीखेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती बाबरी बेवा खुमा जी कीर, निवासी रोहीखेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. वगता पिता खुमा जी कीर, निवासी रोहीखेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर
3. देवा पिता खुमा जी कीर, निवासी रोहीखेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
4. धर्मा पिता खुमा जी कीर, निवासी रोहीखेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर
5. लच्छीराम पिता नन्दा जी कीर, निवासी रोहीखेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती कुरी बाई पिता नन्दा जी कीर, निवासी रोहीखेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
7. अम्बालाल पिता कि ाना जी कीर, निवासी रोहीखेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती टांकू बाई बेवा प्रथा जी कीर, निवासी रोहीखेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
9. भेरूलाल पिता प्रथा जी कीर, निवासी रोहीखेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
10. गेरूलाल पिता प्रथा जी कीर, निवासी रोहीखेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
11. मांगीलाल पिता प्रथा जी कीर, निवासी रोहीखेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
12. के ि ाया पिता भगवान जी कीर (मृतक) के बजाय :–

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.10.25 11:43:04 IST
Reason: SelfAttested

12/1. श्रीमती टांकू बेवा के J उर्फ केि ाया कीर, नि. रोहीखेड़ा, तहसील वल्लभनगर

12/2. लेहरू पिता के J उर्फ केि ाया कीर, निवासी रोहीखेड़ा, तहसील वल्लभनगर

12/3. रतन पिता के J उर्फ केि ाया कीर, निवासी रोहीखेड़ा, तहसील वल्लभनगर

12/4. भीमा पिता के J उर्फ केि ाया कीर, निवासी रोहीखेड़ा, तहसील वल्लभनगर

12/5. लक्ष्मण पिता के J उर्फ केि ाया कीर, निवासी रोहीखेड़ा, तहसील वल्लभनगर

13. भांकर पिता भगवान जी कीर, निवासी रोहीखेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (मृतक)

14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं उप–पंजीयक अधिकारी, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर दि0
05.09.2018 प्रकरण संख्या 204/2012

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री हुक्मीचन्द सांगावत अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री मुके I गौड़ अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 से 11
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं.14

———::———

निर्णय **दिनांक 28–09–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 13 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रोहीखेडा में आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:43:04 IST
Reason: SelfAttested

नंबर 166/9 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है, जो खुमा, कसना, प्रथा, केसीया, भांकर पिता भगवान कीर के खातेदारी की थी, जिसके वारिसान प्रार्थीगण हैं। खातेदार द्वारा उक्त आराजियात का कभी भी विक्रय नहीं किया गया है एवं कब्जा भी प्रार्थीगण का चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 का विवादित आराजी में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं होते हुए भी मौके पर आकर धमकी दी कि उसने विवादित आराजी अपने नाम करा ली है एवं कब्जा करने की धमकी देता है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः ताफैसला मूलवाद विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करें तथा विक्रय/हस्तान्तरण नहीं करें एवं मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

विपक्षी संख्या 3 से 11 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी दिनांक 24–09–1973 को उसके द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है, तब से कब्जा विपक्षी का चला आ रहा है तथा राजस्व रेकार्ड में विधिवत भूमि उसके नाम दर्ज हुई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 05–09–2018 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 04–10–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 11 की ओर से वकील श्री मुके ा गौड़ उपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। भोश रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजियात दिनांक 24–09–1997 को खातेदार खुमा, कसना, परथा, के ु व भांकर से विधिवत क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकृत हुआ है। विवादित आराजियात पर अपीलान्ट का मकान बना होकर करीब 25

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:43:04 IST
Reason: SelfAttested

वर्शो से निवास कर रहा है तथा लगान भी अपीलान्ट द्वारा जमा किया जाता है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 1398, आर.आर. टी. 2003 (2) पेज 1267, आर.आर.टी. 2006 (2) पेज 1410 एवं आर.आर.डी. 1998 पेज 79 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकृश्ट किया।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नहीं है। ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र के आधार पर जो नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है वह गलत है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। विवादित आराजी अपीलान्ट द्वारा खातेदार खुमा, कसना, परथा, के J व भांकर से क्रय किया जाना विक्रय पत्र से प्रमाणित है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या अपीलान्ट क्रेता के नाम पर स्वीकृत होकर जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054 में अपीलान्ट चेनाराम का नाम दर्ज है। अपीलान्ट/विपक्षी रेकार्डेड खातेदार है एवं रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निशेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, जैसाकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 1398, आर.आर.टी. 2003 (2) पेज 1267 एवं आर.आर.टी. 2006 (2) पेज 1410 से स्पश्ट है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निशेधाज्ञा जारी की है, जो उपरोक्त नजीरों की रो ानी में प्रथम दृश्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05–09–2018 निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–09–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.10.25 11:43:04 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:43:04 IST
Reason: SelfAttested